फा. सं. ए-12027/1/2022-सीसी-एमओएसपीआई

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

संगणक केंद्र

पूर्वी खंड-10, सेक्टर-1,

आर के पुरम, नई दिल्ली-110066

दिनांक:20.01.2022

कार्यालय आदेश

सरकारी पदों और सेवा में आरक्षण के आदेशों को लागू करने के लिए संपर्क अधिकारी के नामांकन से संबंधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04 .01.2023 (प्रति संलग्न) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43011/153/2010 स्थापना (आरक्षण) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जाति(एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी), जैसा भी मामला हो, के लिए आरक्षण एवं अन्य संबंधित मुद्दों को देखने के लिए इस प्रभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से संपर्क अधिकारी के रूप में पदनामित करते हैं:

क्रम संख्या	संपर्क अधिकारी का नाम, पदनाम एवं संपर्क विवरण	व्यक्तियों की श्रेणी
1	श्री आशीष कुमार गुप्ता, निदेशक दूरभाष -2671 6383	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)
2	श्री पुरुषोत्तम सिंह मीणा, संयुक्त निदेशक दूरभाष -2610 4194	क-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ख- दिव्यांगजन

2. संपर्क अधिकारी विशिष्ट रूप से निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे:

i. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों में रिक्तियों के आरक्षण और उन्हें मिलने वाले अन्य लाभों से संबंधित आदेशों और निर्देशों का अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उचित अनुपालन सुनिश्चित करना ।

ii. मंत्रालय /विभाग के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट । एवं ।। की मंत्रालय/ विभाग को समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करना और मंत्रालय /विभाग के नियंत्रणाधीन और उसके अंतर्गत सभी प्रतिष्ठानों और सेवाओं के संबंध में उक्त रिपोर्ट की जांच और समेकन सुनिश्चित करना तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को निर्धारित प्रोफार्मा में समेकित रिपोर्ट भेजना ।

iii. खुद को (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संपर्क अधिकारी)भविष्य में होने वाली विभिन्न डीपीसी की तारीखों के बारे में परिचित करना । वह कुछ सहयोगी विभागों /मंत्रालयों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित विभिन्न स्तर के अधिकारियों की एक तैयार सूची अपने पास रखेंगे ताकि जब मांग आए, डीपीसी के अन्य सदस्यों के स्तर और नियुक्ति के स्तर जिसके लिए डीपीसी आयोजित करना प्रस्तावित है, के अनुरूप उचित स्तर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में हमेशा सम्मिलित किया जा सके । संपर्क अधिकारी अन्य मंत्रालयों /विभागों के प्रशासनिक विंग के साथ अनौपचारिक परामर्श के जरिए ऐसी सूची तैयार करें ।

iv. यह सुनिश्चित किया जाए कि आरक्षित व्यक्तियों के आरक्षण को रद्द करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग /राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संदर्भ देते समय, आरक्षण रद्द करने के प्रस्ताव के समर्थन में पूरा विवरण दिया जाए ।

v. सेवा मामलों के संबंध में आयोग को प्राप्त शिकायतों की जांच और उसकी वार्षिक रिपोर्ट के लिए सूचना के संग्रह में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को आवश्यक सहायता प्रदान करने को सुनिश्चित करना ।

vi. आरक्षण आदेशों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रालय /विभाग के नियंत्रण आधीन मंत्रालयों /विभाग/ कार्यालयों में बनाए गए आरक्षण रजिस्ट्रो /रोस्टर रजिस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करना ।

vii. अन्य सूचना देने, आरक्षण आदेशों के मामले में प्रश्नों और पृच्छाओं के उत्तर देने और संदेह दूर करने के लिए मंत्रालय/ विभाग और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के बीच में संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करना ।

(परवीन शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-26105074

संलग्न: यथोक्त

वितरण:

1. श्री आशीष कुमार गुप्ता, निदेशक, डीआईआईडी (सीसी) एमओएसपीआई ।
2. श्री पी. एस. मीना, संयुक्त निदेशक, डीआईआईडी (सीसी) एमओएसपीआई ।
3. अपर महानिदेशक डीआईआईडी (सीसी) एमओएसपीआई के प्रधान निजी सचिव ।
4. उप सचिव, स्थापना (आरक्षण), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 ।
5. वेब यूनिट, मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ ।
6. नोटिस बोर्ड ।